

28/5/21

अशिलेख उपस्थापित

अतः वाद में उग्रय पक्ष विचारित विधि में उपस्थित होकर अपने अधिकारों के माध्यम से अपना उपस्थिति दर्ज न्यायालय में कराते रहे हो परन्तु आ में उग्रय पक्ष की ओर से जवाब एवं कारण पत्रिका दायित्व नहीं किया जा रहा विवाद से संबंधी गवाह एवं कारणों पर प्रस्तुत नहीं किया गया हो उक्त वाद चूंकि अंतर्गत लेकर लाया गया है। उक्त वाद में उग्रय पक्षों के बीच किसी प्रकार शांति अंग होने संबंधी सुचना न्यायालय या वाद अवधि में नहीं प्राप्त है। उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त अवधि समाप्त होने एवं वाद अवधि में उग्रय पक्षों के शांति अंग होने संबंधी सुचना प्राप्त नहीं है।

अतः उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त अवधि समाप्त होने एवं संबंधी कानून या अन्य स्रोत से उग्रय पक्षों के बीच शांति अंग होने की सुचना अप्राप्त नहीं होने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)